(34)

न्यायालय आयुक्त निशक्त जन
25 – डी, माता सुंदरी मार्ग, नई दिल्ली – 110002
दूरभाष संख्या – 23216001 – 23216004
Email : comdis.delhi@nic.in
(दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 82 के तहत
सिविल कोर्ट की शक्तियों से निहित)

केस सं0 4/1307/2016 –वैल/सीडी/1759-60 दिनांक :–15/6/17

के संदर्भ में :–
श्री श्याम सिंह
राजपथ, जनपथ
नई दिल्ली – 110002. .....शिकायतकर्ता

बनाम

उपायुक्त पुलिस (नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट)
उपायुक्त कार्यालय,
पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्टीट,
नई दिल्ली – 110002. .....प्रतिवादी

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता 70/ अस्थि विकलांगता ने अपनी शिकायत दिनांक 08.07.2016 के माध्यम से बताया कि वह जनपथ पर बीडी, गुटका की दुकान लगाकर अपना जीवन व्यतीत करता है परन्तु एक वासुदेव नाम का व्यक्ति आये दिन उसे, उसकी पत्नी व बच्चों के साथ लडाई झगडा करता है और तमंचा दिखाकर धमकी देता है । शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि वासुदेव गलत धंधा जैसे कि गांजा, चोरी के सामान की सटटेबाजी, दारू की सप्लाई आदि भी करता है ।

2. उपरोक्त शिकायत को प्रतिवादी के साथ पत्र दिनांक 19.07. 2016, 10.10.2016 और 15.11. 2016 द्वारा उठाया गया एवं दिनांक 23.01.2017 को मामले की सुनवाई के लिये रखा गया परन्तु शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।

3. दिनांक 13.06.2017 को सहायक आयुक्त पुलिस ने अपनी रिर्पोट द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता को वासुदेव द्वारा अपनी रेहडी उसकी रेहडी के पास लगाने से आपत्ति है क्योंकि शिकायतकर्ता के सामान की बिकी घट गई है । स्थानीय वैंडर्स के बयानों से यह पता चला है कि वासुदेव द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है । श्याम सिंह के बयान से भी स्पष्ट है कि दोनों ही व्यक्ति निशक्तः जन हैं और शिकायतकर्ता ने गलतफहमी की वजह से शिकायत कर दी और वह अपनी शिकायत को वापिस लेना चाहता है क्योंकि वासुदेव ने अपनी दुकान वहां से हटा भी ली है । शिकायत कर्ता का लिखित बयान भी पुलिस रिपोर्ट के साथ दिनांक 13.06.2017 को प्राप्त हुआ ।

4. उपरोक्तानुसार मामले को बंद किया जाता है ।

Court of Commissioner (Disabilities) National Capital Territory of Delhi

15.6.17

टी डी धारियाल
राज्य आयुक्त निशक्त जन
Court of Commissioner (Disabilities)
National Capital Territory of Delhi
Room No. - 1
25-D, Mata Sundari road, New Delhi-02

Scanned by CamScanner